फर्द अहकाम

~~बोदीधर~~ बनाम ग्यारसी उर्फ [illegible]

नाम न्यायालय

केस संख्या 10/2017 प्रा. पत्र 25 (क)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे
		1804 दी किया है। जिस पर किसी अन्य खातेदार का कोपिण है। जिससे प्रकरण सर्वप्रथम काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 का बनता है ऐसे प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र maintainable (पोषणीय) नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर उप नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:54:10 IST
Reason: SelfAttested